मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 1-1/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- व्यक्तिगत जमा खातों के परिचालन के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ 1-8/2007/नियम/चार, दिनांक 21-11-2008, ज्ञाप क्रमांक एफ 1-2/2010/नियम/चार, दिनांक 23-2-2010 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/2013/नियम/चार, दिनांक 8-3-13.

संदर्भित पत्रों द्वारा व्यक्तिगत जमा खाता धारकों से अनुरोध किया गया है कि राज्य शासन की संचित निधि से राशि आहरित कर प्रारंभ किये गये व्यक्तिगत जमा खातों को म.प्र. कोष संहिता भाग-1 के सहा.नियम 543 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति पर बन्द किए जायें जो कि आवश्यक होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में सामान्य रीति से पुनः खोले जा सकते हैं । महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर द्वारा राज्य शासन के ध्यान में पुनः लाया गया है कि खाता धारकों द्वारा उपर्युक्त अनुसार खाते बन्द नहीं किये जा रहे हैं ।

2/ अतः पुनः अनुरोध है कि सन्दर्भित परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही हेतु कृपया अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं. : एफ 1-1/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम म.प्र. ग्वालियर को उनके पत्र क्रमांक को.नि.कक्ष/एफ.एस./2013-14/डी-247 दिनांक 26-9-14 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA/Priparta/2015